भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3830

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

किशोरियों में रक्ताल्पता

3830. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश भर में किशोरियों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करते समय सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या उक्त योजना की शुरुआत से किशोरियों में रक्ताल्पता के मामलों में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किशोरियों में रक्ताल्पता के मामलों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): सरकार ने देश में किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। यह मंत्रालय किशोरी स्कीम (एसएजी) कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य पोषण घटक के तहत किशोरियों (एजी) [14 से 18 वर्ष] को उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए पोषण संबंधी सहयोग प्रदान करना और स्कीम के गैर-पोषण घटक के तहत उन्हें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल आदि प्रदान करना है। आकांक्षी जिलों और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियां इस स्कीम के तहत लक्षित लाभार्थी हैं।

स्कीम के तहत 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों को वर्ष में 300 दिन 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, किशोरियों को आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, आदि प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले और खेल, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आदि की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत सेवाओं के अभिसरण पर जोर दिया गया है ताकि वांछित प्रभाव हासिल किया जा सके।

वर्तमान में, स्कीम के तहत सेवाओं के वितरण की निगरानी पोषण ट्रैकर ऐप्लिकेशन के माध्यम से की जा रही है। जून 2023 तक, पोषण ट्रैकर पर कुल 2287788 किशोरियों ने पंजीकरण कराया है जिसमें से लगभग 81% आधार सत्यापित हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के एक घटक के रूप में 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 से 'मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की स्कीम' कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाना, किशोरियों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच और उनका उपयोग बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 से इस स्कीम का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। राज्यों से उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सैनिटरी नैपकिन पैक के विकेंद्रीकृत प्रापण, सुरक्षित भंडारण और निपटान और आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यू और नोडल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निधि की मंजूरी दी जाती है। राज्यों को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित कीमतों पर सैनिटरी नैपकिन पैक का प्रापण करने का निर्देश दिया गया है। 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या तो एनएचएम बजट या एनएचएम और राज्य के संयुक्त बजट से इस स्कीम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएस) का भी कार्यान्वयन करता है जिसमें आयरन और फोलिक एसिड की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए स्कूल के किशोरों और किशोरियों और स्कूल न जाने वाली किशोरियों को साप्ताहिक पर्यवेक्षित आईएफए टैबलेट और हेल्मिंथिक नियंत्रण के लिए द्विवार्षिक एल्बेंडाजोल टैबलेट का प्रावधान शामिल है। यह कार्यक्रम देश भर में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। लक्षित किशोर आबादी में मध्यम/गंभीर रक्ताल्पता की जांच करना और मामलों को उचित स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करना; और पोषण संबंधी रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए जानकारी और परामर्श भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं।

इस कार्यक्रम को प्रमुख हितधारक मंत्रालयों अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अभिसरण के माध्यम से संयुक्त कार्यक्रम नियोजन, क्षमता निर्माण, और संचार गतिविधियों के साथ कार्यान्वित किया जाता है।

*****